कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जशपुर छ0ग0

क्रमांक / 796 / पो.आ. / मबावि / 2017–18 जशपुर, दिनॉक ~~01.07.2017.~~ 11.09.2017

:: समूहों से रेडी टू ईट पोषण आहार प्रदाय हेतु प्रस्ताव का आमंत्रण ::

महिला एवं बाल विकास विभाग जिला जशपुर अन्तर्गत अधोलिखित पर्यवेक्षक सेक्टर के ऑगनबाड़ी व मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार प्रदाय करने हेतु सेक्टर के स्थानीय सकिय महिला स्व सहायता समूहों से **प्रस्ताव** आमंत्रित किये जाते हैं । प्रस्ताव का आवेदन इस कार्यालय में **दिनॉक 04.10.2017 संध्या 5.30 बजे तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं । कार्य से संबंधित विस्तृत जानकारी व शर्ते जिले की वेवसाईट www.jashpur.nic.in या इस कार्यालय से कार्यालयीन समय पर प्राप्त किया जा सकता है ।**

क्र	आईसीडीएस	पर्यवेक्षक सेक्टरों का नाम	सेक्टर में आने वाली ऑगनबाड़ी / मिनी ऑ.बा.केन्द्रों की संख्या
1	दुलदुला	खटंगा	28
2	दुलदुला–2	कस्तुरा	25
3	बगीचा	बिमड़ा	25
4	कॉसाबेल	कॉसाबेल	22
5	फरसाबहार	कोल्हेनझरिया	28
6	जशपुर	सरुडीह	26
7	केराडीह	रेंगारघाट	22
8	तपकरा	पमशाला	25
9	कुनकुरी	कलिबा	19
10	कुनकुरी	ढोढ़ीडॉड़	32
11	केराडीह	नारायणपुर	27
12	पत्थलगॉव	तमता	25
13	बागबहार	कोतबा	16
14	लोदाम	पैकू	20
15	बगीचा	घुघरी	27
16	सन्ना	चम्पा	19
17	तपकरा	सिंगीबहार	23
18	मनोरा	मनोरा	28
19	मनोरा	घाघरा	27
20	मनोरा	जामपाठ	19
21	आस्ता	हर्री	30
22	आस्ता	आस्ता	29
23	कॉसाबेल	खुटेरा	24
24	दोकड़ा	बगिया	22
25	दोकड़ा	दोकड़ा	30

—2—

शर्तें :-

1. केवल स्थानीय स्व सहायता समूह, जिसके सदस्यों का निवास एवं कार्यस्थल पर्यवेक्षक सेक्टर अन्तर्गत आने वाले ऑगनबाड़ी/मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्र क्षेत्र होगा, से प्रस्ताव आमंत्रित है, गैर स्थानीय समूहों का प्रस्ताव अमान्य होंगे तथा किसी भी माध्यम से प्राप्त होने पर स्वमेव निरस्त माना जायेगा ।
2. समूह में आपसी विवाद, शिकायत या नमूना फेल होने के कारण से पूर्व में इस कार्य से पृथक किये गये स्व सहायता समूह इस आमंत्रण पर फिर से आवेदन नहीं कर सकेंगे तथा उनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अमान्य किया जायेगा व प्रस्ताव स्वमेव निरस्त माना जायेगा । इसी प्रकार हटाये गये समूहों के सदस्य/पदाधिकारी नया समूह बनाकर या पुराने समूह में सम्मिलित होकर आवेदन नहीं कर सकेंगे, ऐसा पाये जाने पर नये समूह को भी इस कारण हटाया/चयन निरस्त किया जा सकेगा कि इस समूह ने तथ्य छुपाया है ।
3. इच्छुक महिला स्व सहायता समूह को निर्धारित प्रारुप में आवेदन-पत्र नियत तिथि व समय तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, समयावधि समाप्त होने के बाद प्राप्त प्राप्त प्रस्ताव स्वमेव निरस्त माना जायेगा ।
4. प्रस्ताव प्राप्त होने पर सत्यापन उपरान्त जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में रखा जा कर उचित निर्णय लिया जायेगा, जो सर्वमान्य होगा ।
5. एक सेक्टर के लिए एक ही समूह का चयन किया जायेगा । इसी प्रकार किसी भी दशा में पर्यवेक्षक सेक्टर क्षेत्र से बाहर के समूह का चयन नहीं किया जायेगा । अर्थात सेक्टर क्षेत्र से बाहर के समूह का प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वमेव निरस्त माना जायेगा ।
6. ऐसे समूह आवेदन करें, जिसका गठन कम से कम 2 वर्ष पूर्व हुआ हो तथा इस अवधि में समूह का बैठक पंजी, बैंक खाता पासबुक, लेजरबुक/कैशबुक संधारित हुआ हो, का स्व प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा ।
7. समूह में 10 से 20 तक सक्रिय सदस्य(सभी पदाधिकारी सहित) होना आवश्यक है, जिनके आधार कार्ड, व्होटर आई-डी, राशन कार्ड में से कोई भी एक परिचय पत्र की स्व हस्ताक्षरित तथा समूह के अध्यक्ष/सचिव द्वारा प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जायेंगे ।
8. आवेदन पत्र पर स्थानीय ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्थानीय पर्यवेक्षक तथा परियोजना अधिकारी के पदमुद्रा सहित प्रमाणीकरण हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं, ताकि समूह स्थानीय होने की पुष्टि हो सके ।
9. समूह में ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका या मानसेवी कर्मचारी अथवा शासकीय सेवक या संवैधानिक पद-धारित महिलाएँ, पंचायती राज अधिनियम में परिभाषित परिवार सूची के एक परिवार से एक से अधिक सदस्य सम्मिलित नहीं रहेंगे, समूह के चयन उपरान्त भी ऐसा पाये जाने पर बिना सूचना दिये प्रस्ताव अथवा चयन निरस्त किया जा सकेगा ।
10. समूह के बैंक पासबुक के मुख्य विवरण पृष्ट तथा कम से कम अंतिम दो वर्ष के लेन-देन का विवरण उल्लेखित स्व-सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना हो । समूह का चयन होने पर लेन-देन हेतु केवल राष्ट्रीय कृत बैंक खाता को मान्य किया जायेगा ।
11. समूह को स्वयं के धारित सम्पत्तियों/पंजी का विवरण देना होगा, जिसमें यदि स्वयं का पिसाई मशीन, मिक्सिंग ट्रे, मीटर वेट मशीन आदि होने पर चयन में सक्षमता के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी । प्रमाणिकता के लिए क्रय देयक, रजिस्ट्री पेपर आदि की प्रतियाँ आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे ।

12. चयन में छत्तीसगढ़ महिला कोष या अन्य शासकीय योजनाओं से सम्बद्ध या रिवाल्विंग फंड प्राप्त समूहों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्होंने निर्धारित अवधि में पूरा–पूरा किस्त अदा किया हो । प्रमाणिकता हेतु आवेदन पत्र के साथ साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे ।
13. चयन होने पर एक सप्ताह के अन्दर 50/– के नानज्यूडिशियल स्टेम्प पेपर पर अनुबंध सम्पादित करना होगा, ऐसा नहीं करने पर चयन स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
14. आवेदन पत्र के साथ, रेडी टू ईट निर्माण व पैकिंग संबंधी सभी टूल्स 2 माह के अन्दर व्यवस्थित कर लेने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा चयन के बाद निर्धारित समयावधि में अधोसंरचना विकसित नहीं कर पाने पर चयन निरस्त किया जा सकेगा ।
15. परियोजना अधिकारी के आदेश पर क्रयादेश अनुसार खाद्य पदार्थ ऑगनबाड़ी केन्द्रों तक पहुंचाकर आपूर्ति करना होगा ।
16. किसी भी तथ्य को छुपाने या गलत जानकारी देने पर चयन निरस्त व तत्काल कार्य से पृथक किया जा सकेगा ।
17. आवेदन पत्र के साथ समूह के गठन होने संबंधी कार्यवाही विवरण तथा नियमावली का स्व सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा ।
18. समूह के नियमावली में अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष का कार्य अवधि निर्धारित होनी चाहिए तथा वह चक्रीय क्रम में हो ।
19. समूह का कम से कम माह में एक बार नियमित बैठक होता हो तथा बैठक का कार्यवाही विवरण बैठक पंजी में दर्ज कर प्रमाणित किये जाते हों ।
20. समूह या समूह का कोई सदस्य किसी आपराधिक गतिविधि में सन्लिप्त नहीं होना चाहिए और न किसी सदस्य को किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, ऐसा पाये जाने पर समूह का प्रस्ताव/चयन निरस्त किया जा सकेगा ।
21. प्रत्येक समय समूह में 10 से अधिक पदाधिकारी–सदस्य होने आवश्यक हैं, इससे कम होने पर समूह की अवधारणा खत्म माना जाकर समूह को कार्य से पृथक किया जायेगा । इसी प्रकार नियमावली अनुसार समूह के प्रत्येक सदस्य का सदस्यता शुल्क नियमित जमा होनी चाहिए, लगातार तीन माह तक सदस्यता शुल्क जमा होना नहीं पाये जाने पर समूह की सदस्यता समाप्त मानी जाकर संख्यात्मक गणना की जायेगी और उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जायेगा ।
22. समूह के चयन में 10 या अधिक सदस्य पर 10 अंक, दो वर्ष या अधिक पुराना समूह का 25 अंक, सभी सदस्य अलग–अलग परिवार से होना पाये जाने पर 20 अंक, खाते में जमा राशि पर अधिकतम 25 अंक(एक लाख से अधिक पर 25 अंक, 75 हजार से 99999/– तक 20 अंक, 50 हजार से 74999/– तक 15 अंक) तथा परियोजना अधिकारी के द्वारा सक्रिय और ए ग्रेड समूह प्रमाणित किये जाने पर 20 अंक देय होगा, इस प्रकार 100 अंक में से अर्जित सर्वाधिक अंक के आधार पर समूह का चयन किया जायेगा ।
23. विवाद की स्थिति में न्यायालय कलेक्टर जशपुर प्रथम अपीलीय अधिकारी होंगे ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जशपुर(छत्तीसगढ़)

पृ0क0/196 (ए)/पो.आ./मबावि/2017–17 जशपुर, दिनॉक 11.09.2017.

प्रतिलिपिः–

1. सहायक संचालक, जनसम्पर्क कार्यालय जशपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ । कृपया समाचार प्रकाशित कराने का कष्ट करेंगे ।
2. परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना (संबंधित) जिला जशपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. संबंधित सरपंच/सचिव, संबधित ग्राम पंचायत **द्वारा संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी** की ओर नोटिस बोर्ड पर चश्पा एवं मुनादी हेतु ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जशपुर(छत्तीसगढ़)

रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार कार्यक्रम संचालन हेतु आवेदन

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जशपुर छत्तीसगढ़

****

महोदय,

हमारा(नाम).......................................स्व सहायता समूह(स्थान) .... राजस्व ग्राम/वार्ड..............................विकासखंड/तहसील................................. जिला जशपुर छ0ग0. आपके द्वारा जारी विज्ञापन दिनॉक 01.07.2017 अनुसार एकीकृत बाल विकास परियोजना .... अन्तर्गत पर्यवेक्षक............................के सभी ऑगनबाड़ी केन्द्रों को विभागीय निर्देशानुसार पूरक पोषण आहार (रेडी–टू–ईट फुड आदि खाद्य पदार्थ) आपूर्ति करने के इच्छुक है, जिसके लिए समूह नीचे लिखे दस्तावेज पेश कर रहा हैं। कृपया समूह को इस कार्य हेतु चयन करने का कष्ट करें ।

संलग्नः–

1. समूह के बैठक में कार्यकरने हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति ।
2. समूह के वर्तमान पदाधिकारियों की सूची ।
3. समूह का घोषणा–पत्र ।
4. समूह के चल–अचल सम्पत्ति का विवरण ।
5. समूह के बैंक पास–बुक की छायाप्रति ।
6. केशबुक/लेजर बुक के अंतिम पेज का छायाप्रति ।
7. सदस्यता शुल्क जमा पंजी के अंतिम दो माह जमा की छायाप्रति ।
8. समूह के गठन का नियमावली ।
9. समूह के गठन का पारित प्रस्ताव की प्रति ।
10. समूह के पंजीयन का प्रमाण–पत्र ।
11. सभी सदस्यों का आधार कार्ड/व्होटर आई.डी.
12. सभी सदस्यों के परिवार सूची का प्रमाणीकरण दस्तावेज.

समूह का सील
अध्यक्ष/सचिव का हस्ताक्षर

समूह का घोषणा–पत्र

हमारा(नाम).......................................स्व सहायता समूह(स्थान) ....
...राजस्व ग्राम/वार्ड..............................विकासखंड/तहसील................................. जिला जशपुर छ0ग0.घोषणा करते हैं कि :–

1. समूह में ....सक्रिय सदस्य हैं तथा समूह के सदस्य महिलाऍ और व्यस्क है ।
2. हमारे समूह के सभी सदस्य पता.. के निवासी हैं ।
3. हमारे समूह में एक ही परिवार के 2 या अधिक सदस्य सम्मिलित नहीं हैं ।
4. हमारे समूह में कोई भी सदस्य ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी कार्यकर्ता या अन्य किसी विभाग में नियोजित नहीं है, संवैधानिक पद धारित जन–प्रतिनिधि नहीं है और न ही शासकीय कर्मचारी है ।
5. हमारे समूह में सदस्यता शुल्क निर्धारित है तथा प्रत्येक सदस्य नियमित रुप से सदस्यता शुल्क जमा करते है ।

6. हमारे समूह को ऋण वापसी न करने या किसी गंभीर अनियमितता के लिए ब्लेक–लिस्टेड नहीं किया गया है और न ही किसी शासकीय कार्य से पृथक किया गया है ।
7. हमारे समूह का कोई भी सदस्य किसी अन्य समूह का सदस्य नहीं है ।
8. हमारे समूह के सदस्यों के द्वारा पर्यवेक्षक सेक्टर .... के सभी ऑगनबाड़ी व मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्रों को स्वयं रेडी टू ईट निर्माण कर आपूर्ति का प्रस्ताव पारित किया गया हैं, जिसका प्रति संलग्न है ।
9. हमारे समूह का इस कार्य हेतु चयन होने पर हम चयन तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अनुबंध कराने तथा दो माह के अन्दर अधोसंरचना विकसित कर कार्य प्रारंभ करने हेतु सहमत हैं । यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो हमारे समूह का चयन निरस्त माना जायेगा ।
10. हमारे समूह के द्वारा प्रस्ताव में सही–सही जानकारी दी गई है, यदि कोई जानकारी असत्य और अपूर्ण पाई जाती है, तो समूह की सम्बद्धता समाप्त कर समूह के सदस्यों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जा सकेगा ।
11. समूह में आपसी मनमुटाव या भ्रम की स्थिति में समूह के अल्पमत में आने पर समूह को कार्य से पृथक किया जा सकेगा ।
12. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अन्तर्गत जारी नीति–निर्देश या शर्तें हमारे समूह को स्वीकार्य है ।

समूह का सील
अध्यक्ष / सचिव का हस्ताक्षर

कार्यकर्ता का घोषणा–पत्र

मैं...कार्यकर्ता, ऑगनबाड़ी केन्द्र...राजस्व ग्राम / वार्ड.............................आईसीडीएस .... घोषणा करती हूँ कि मेरे क्षेत्र में ....स्व सहायता समूह .... विगत ....वर्षों से गठित है, जो पर्यवेक्षक सेक्टर... आईसीडीएस.........................के अन्तर्गत आता है, वर्तमान में .... का काम करती हॅ, सक्रिय और सदस्यों के बीच समन्वय है, नियमित बैठक करते हैं, समूह ब्लेक लिस्टेड नहीं है, समूह को रेडी टू ईट कार्य से हटाया नहीं गया है, समूह के सभी सदस्यों का कार्य और व्यवहार अच्छा है, समूह में एक ही घर से दो या अधिक सदस्य नहीं हैं, समूह में ऑगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका, शासकीय कर्मचारी या सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य या अन्य कोई सवैधानिक पद धारित, असाध्य रोग से ग्रसित, सजायाप्ता महिला सम्मिलित नहीं हैं । मैं इस समूह को पूरक पोषण आहार रेडी टू ईट का कार्य देने की अनुशंसा करती हूँ ।

कार्यकर्ता का हस्ताक्षर मय पदमुद्रा

पर्यवेक्षक का घोषणा–पत्र

मैं...पर्यवेक्षक, सेक्टर.......................... आईसीडीएस ....घोषणा करती/करता हूँ कि मेरे परिक्षेत्र के ऑगनबाड़ी केन्द्र ....सर्वेक्षेत्र में ....स्व सहायता समूह .... गठित है, जो वर्तमान में ....का काम करती हैं, जिसका ग्रेडिंग अनुसार ....ग्रेड है तथा समूह सक्रिय है, नियमित बैठक करते हैं, समूह को रेडी टू ईट कार्य से हटाया नहीं गया है, समूह में ऑगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका, शासकीय कर्मचारी या सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य या अन्य कोई सवैधानिक पद धारित महिला सम्मिलित नहीं हैं । मैं इस समूह को पूरक पोषण आहार रेडी टू ईट का कार्य देने की अनुशंसा करती हूँ ।

पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर मय पदमुद्रा

परियोजना अधिकारी का घोषणा–पत्र

मैं...परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना ....घोषणा करती/करता हूँ कि मेरे परियोजना क्षेत्र के ऑगनबाड़ी केन्द्र ....सर्वेक्षेत्र में ....स्व सहायता समूह ... .गठित है, जो पर्यवेक्षक सेक्टर ....अन्तर्गत आता है । ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक के अभिमत से सहमत होकर इस समूह को पर्यवेक्षक सेक्टर...............................पूरक पोषण आहार रेडी टू ईट का कार्य देने की अनुशंसा करती हूँ ।

परियोजना अधिकारी का हस्ताक्षर मय पदमुद्रा

समूह के पदाधिकारियों की सूची

स्व सहायता समूह का नाम :-

क0	समूह के सदस्य का पूरा नाम व पिता/पति का नाम	समूह में धारित पदनाम	आयु(वर्ष)	शैक्षणिंक योग्यता	हस्ताक्षर
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर :-

परियोजना अधिकारी पर्यवेक्षक स्त्रोत कार्यकर्ता समूह-अध्यक्ष/सचिव